न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

66/2023

उनवान

गोपाल बनाम अमरीबाई

किस्म मुकदमा धारा-223 मि.नं. 2023/146 सन ....

अभिभाषक अपीलान्ट श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18-09-23	यह अपील जरिये अभिभाषक अपीलांट दिनांक 03-07-23 को प्रस्तुत की गई। सरिस्ते की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील अन्दर मियाद है, जो दर्ज रजिस्टर की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे। रेस्पोर्डेटगण को नोटिस सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक द्वारा करवाये जाने हेतु अभिभाषक अपीलांट को दस्ती दी जावें। पत्रावली वास्ते नोटिस हेतु दिनांक 16-10-23 को पेश हो। [हस्ताक्षर] (दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
16-10-23	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण व अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अपीलांटगण व अभिभाषक अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने अपील पेश किया और निवेदन किया कि अपीलान्ट उस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है। इस बाबत् अपीलांटगणों ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिसे अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रमाणित किया गया। अपीलांटगण व अभिभाषक अपीलांट के अपील विड्रा करने के निवेदन को न्यायहित में स्वीकार कर अपील विड्रा खारिज की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] (दीप्ति प्रेमचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	शिवसिंह [अंगूठा निशान] अ. नि. गोपाल [अंगूठा निशान] नि.अ. रतनलाल [हस्ताक्षर] 16.10.23

[मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा — सत्यमेव जयते]

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बांरा/झालावाड मुख्यालय कोटा

अपील संख्या–

1– गोपाल वल्द नाथू जाति लोधा निवासी घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड
2– रतनलाल वल्द नाथू जाति लोधा निवासी घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड
3– शिवसिंह वल्द नाथू जाति लोधा निवासी घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड

......अपीलाण्ट

बनाम

1– अमरी बाई तथाकथित पुत्री देवा पत्नी मांगीलाल जाति लोधा निवासी ग्राम सुन्दरपुरा ग्राम पंचायत आगरिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ
2– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा घाटोली जिला झालावाड राज0
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अकलेरा जिला झालावाड

......रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तगर्त धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनारजगी निर्णय एंव डिक्री 31.05.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा जिला झालावाड बउनवानी मुकदमा अमरीबाई बनाम गोपाल वगैराह प्रकरण संख्या–130/दावा/14

मान्यवर,

अपीलाण्ट निम्न निवेदन करते है :–

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के यहा रेस्पोडेण्ट क्रम 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53, 209 आरटी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया था कि ग्राम घाटोली तहसील अकलेरा जिला झालावाड राज0 मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 203, 204, 210, 211, 212, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 462, 463 कुल किता 13 की कुल रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा आराजी अपीलाण्ट क्रम 1 लगायत 4 के सामूहिक खातेदारी मे स्थित है। वादी रेस्पोडेण्ट क्रम 1 अमरी बाई ने अपना मिथ्या सजरा खानदान प्रस्तुत कर स्वंय को रामा के दो पुत्रो मे से देवा की पुत्री होना बताया तथा प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को नाथू का वारिस होना बताया जिसके आधार पर वादी रेस्पोडेण्ट अमरी बाई ने यह वर्णित किया कि सही तथ्यो को छुपाते हुये इंतकाल नम्बर 127 दिनांक 28.07.1975 खुलवाकर तन्हा खातेदार हो गया तथा उक्त नामान्तरण की वजह से वादी रेस्पोडेण्ट अमरी बाई का हक अधिकार समाप्त कर दिया गया तथा आगे वर्णित किया कि दिनांक 19.08.2013 को राजस्व रिकार्ड मे नकले पटवारी से प्राप्त करने के बाद स्वंय का नाम खातेदारी मे दर्ज होना नही बताकर वाद